मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 1992 (फाल्गुन 16, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार 'दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड' का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) की अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री उदयप्रकाश मिश्र, रामलखन शर्मा, रमाकान्त तिवारी, सदस्य रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में गोरमा बांध से कृषकों को सिचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल-संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम जैनी में हुई डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री डोमनसिंह नगपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खरगपुर के पास पानी के अभाव में हुई एक श्रमिक की मृत्यु की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम तेलदह में एक परिवार को असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के बदनावर थानान्तर्गत मारपीट व तोड़-फोड़ की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम जटकन्हार में दूषित पानी पीने से हुई कई लोगों की मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य, जिला उज्जैन में फिज़ीकल कालेज खोले जाने,

(2) श्री बद्रीलाल सोनी, सदस्य, जिला शाजापुर के नलखेड़ा में व्यवहार न्यायालय की स्थापना कराये जाने,

(3) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य, जिला नरसिंहगढ के स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने,

(4) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड के ग्राम दीमरन कापुरा (आलमपुर) में हैण्डपम्प लगाये जाने,
(ख) जिला भिण्ड के ग्राम देवरीकला में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य -

(क) जिला भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित सुरूचि नगर के मार्गो का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) जिला भोपाल के सुरूचि नगर में कोलार परियोजनासे जल प्रदाय किये जाने,

(6) श्री देशराज सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के ग्राम बामोरी टांका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ख) जिला गुना विकासखण्ड मुंगावली के ग्राम पिपरई में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(7) श्री अशोक शुक्ला, सदस्य -

(क) जिला इन्दौर के क्षेत्र क्रमांक 5 स्थित गोमा की फेल में शौचालय का निर्माण कराने,
(ख) जिला इन्दौर के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 5 में मोरोद से नेहरूवन ग्राम की रोड की मरम्मत किये जाने,

के संबध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे 30 मिनिट (शेष 2 घन्टे)	(1)	मांग संख्या 08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या 09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 35	पुनर्वास
		मांग संख्या 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
1घन्टा 30 मिनिट	(2)	मांग संख्या 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
2 घन्टे	(3)	मांग संख्या 10	वन

6. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री रामानंद सिंह, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मिनिट "इस सदन की राय है कि समस्त ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं का संधारण व संचालन ग्राम-पंचायतों के स्थान पर राज्य शासन स्वयं करे तथा पेयजल टेक्स, लगान के साथ ही वसूल करें ".

(2) सर्वश्री हरीसिंह नरवरिया, रामनिवास रावत, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

45 मिनिट "सदन का मत है कि प्राकृतिक विपदा के कारण नुकसान में दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि को कुल क्षति के कम से कम 60 प्रतिशत तक की सीमा में दिये जाने का प्रावधान, राजस्व पुस्तक परिपत्र में किये जाने हेतु राज्य शासन अग्रसर हो".

(3) श्री भागचन्द सोगानी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मिनिट "सदन का मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, योजनामंडल तथा जवाहर योजना के माध्यम से हो रहे निर्माण कार्यों के लिये एक निगम का गठन किया जावे".

(4) श्री धीरेन्द्र सिंह "धीरू", सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनिट "सदन की राय में राज्य के सार्वजनिक अवकाशों की संख्या में कमी की जाए".

(5) श्री उदय सिंह पण्डया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनिट "सदन का मत है कि उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय".

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 मार्च, 1992